

राजधानी/प्रदेश

उआ-छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश के पास पुलिस बल कम, अपराध ज्यादा

एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चली पुलिस बल व अपराध दर की स्थिति

5,750

सुबेदार, उप
निरीक्षक,
सहायक उप
निरीक्षक,
प्रधान आरक्षक
और आरक्षक
की भर्ती नहीं
प्रदेश में



(आकड़े वर्ष 2019
के जो राष्ट्रीय अपराध
रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट
में सामने आए।)

126





298

एक लाख आबादी पर
पुलिसकर्मी

पुलिसकर्मी

अपराध

आचार संहिता के चलते
नहीं हो पाई थी भर्तीयां



5,750 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव ही नहीं भेजा

सितंबर, 2018 में मुख्यमंत्री ने यानों और पुलिस लाइन में बल बढ़ाने के लिए सुबेदार, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के 5,750 पद स्वीकृत किए थे। नए यानों-चौकियों की स्थापना के लिए भी बल की जरूरत थी। इन पदों पर दो वर्षों में (3500 और 2250) भर्ती करनी थी। जाव से पता चला कि दिसंबर, 2019 तक विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। वहीं यह भी कहा गया कि अन्य प्रिष्ठज्ञ दरम (ओबीसी) के लिए आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं थी।

मध्यमें अपराध दर पड़ोसी राज्यों की

तुलना में तो अधिक है ही, राष्ट्रीय औसत 241.2 से भी अधिक है, जबकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता भी संतोषजनक नहीं है। यह भी

राष्ट्रीय औसत 158.22 से कम है। जनवरी, 2019 में 1 लाख 28 हजार 287 पद स्वीकृत थे। इनके विरुद्ध 1 लाख 1 हजार 751 कर्मचारी कार्रवारत थे। यानी विभाग में 20.68 प्रतिशत पद रिक्त थे।

Name of Newspaper → दैनिक शास्त्री

Date → 23/12/21

Pg No → 02

इधर गवालियर में खाद्य विभाग की लापरवाही पर उठाए सवाल गवालियर सहित कई ज़िलों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने, जुर्माना वसूलने में बरती लापरवाही

अभिषेक शर्मा | गवालियर

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बुधवार को जारी वाणिजिक रिपोर्ट में गवालियर, मुरैना सहित प्रदेश के कई ज़िलों में खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों से लेकर दूध तक के सैंपल लेने, उसकी रिपोर्ट देने से लेकर कारोबारियों पर जुर्माना करने और उसे वसूलने तक में लापरवाही बरते का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया है

कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक दोषी खाद्य कारोबारियों पर 5 करोड़ 53 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, लेकिन विभागीय अधिकारी इनमें से 3.64 करोड़ रु. की वसूली तक नहीं कर पाए। रिपोर्ट में भोपाल, खरगोन, उज्जैन, होशंगाबाद, इंदौर, सतना जिले भी शामिल हैं। कैग का मानना है कि मप्र शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को लेकर ग्राउंड पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। जिसके कारण इस

अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों पर केस दर्ज करने और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने और उसे वसूल करने तक में लगातार दोरी हुई है। रिपोर्ट में बताया है कि सैंपल लेने के बाद फूड लैब से उसकी जांच होने और उसकी रिपोर्ट से सबैधित खाद्य कारोबारियों को अवात करने में 2 दिन से लेकर 286 दिनों तक की दोरी हुई। दोषी खाद्य कारोबारियों पर अधियोजन की कार्रवाई शुरू करने में 4 से 35 महीने की दोरी हुई। शेष पेज 3 पर

गवालियर सहित...

गवालियर सहित इन सभी ज़िलों में 11 हजार 851 के लाइसेंस समाप्त हो गए और 52 हजार 266 कारोबारियों का पंजीयन की वैधता समाप्त हो गई। इसके बाद भी ये लोग कारोबार कर रहे थे या नहीं, इसकी जांच नहीं की गई।

Name of News paper → फैमिली भास्कर

Date → 23/12/21

Page no → 03

पुलिस थानों, चौकियों पर अमले की पोस्टिंग में अनियमितता, भर्ती में भी देरी: सोएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस विभाग 26 हजार 536 रिक्त पदों को भर्ती करने के लिए संघर्षरत रहा। लेकिन मप्र व्यापम को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने में ही 6 से 11 महीने लगा दिए। सितंबर 2018 में सृजित किए गए विभिन्न 5750 पदों को भी नहीं भर सका। वहीं ग्वालियर, बालाघाटा, भिंड, इदौर, शिवपुरी जैसे जिलों में 158 पुलिस थानों, 69 चौकियों में 9 हजार 642 स्वीकृत अमले के विरुद्ध 2 हजार 648 कर्मचारी कम तैनात पाए गए। जबकि विडंबना यह रही कि इन जिलों की पुलिस लाइन में ही स्वीकृत 2 हजार 174 कर्मचारियों की तुलना में 819 कर्मचारी अधिक तैनात पाए गए।

सीएजी ने विशेष तौर पर उल्लेख किया है कि प्रदेश के 12 पुलिस थाने ऐसे पाए गए जहां पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सबसे अधिक केस दर्ज होना पाए गए, लेकिन उसकी तुलना में कर्मचारी स्वीकृत अमले के विरुद्ध 55 से 74 प्रतिशत कम संख्या में तैनात किए गए। जबकि यहां पर अधिक संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे।

कैग की रिपोर्ट २०१४ से २०१९ तक खाद्य विभाग के अमले ने त्योहारों पर की खानापूर्ति स्टाफ के लिए प्रस्ताव भेजा

मिलावट रोकने ५ साल में सिर्फ २४१ सैंपल

सिटी रिपोर्टर | ग्यातिया

खाद्य विभाग का अमल होलो, दशहरा और दीपावली के त्योहारी स्मीजन में भी सैंपलिंग तक ज्यादा नहीं करता। इसका खुलासा हुआ है कैग रिपोर्ट से। रिपोर्ट में बताया गया है कि २०१४ से २०१९ तक तीन बड़े त्योहारों पर खाद्य विभाग सिर्फ २४१ सैंपल ही बाजार से ले लक्जा। जबकि, इन स्मीजन ही निलाभटी एवं नकली खाद्य पदार्थों को स्थाने ज्यादा खबर्या जाता है।

तत्कालीन कमलनाथ नरेकार ने २०१९ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था। जिसके तहत मिलावट खोरों के खिलाफ बड़े स्तर पर छापमारी की कार्रवाई की गई।

बिना स्वीकृति के कॉलोनी बस रही थी, निगम अमले ने तुड़ाई की

ग्यातियर| नए आरटीओ अफिस के पास नीलामी में जिला प्रशासन से खरीदी जमीन पर बिना रजिस्ट्री, बिना नगर निगम परमिशन के अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर गुरुवार को निगम ने कार्रवाई की। नीलामी में जमीन लेने वाले आकाश शर्मा और संजय दीक्षित विरोध करने आ गए। भवन अधिकारी बोके त्यागी ने रजिस्ट्री, टीएंडसीपी और निगम से परमिशन मांगी। उनके पास ऐसे कुछ कागजात नहीं मिले। इसके बाद कॉलोनी में डाली गई सीवर लाइन, सड़क आदि को तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन से ७.५ बोधा जमीन नीलामी में इन लोगों ने खरीदी थी। यहां कॉलोनी बसाने से पहले परमिशन लेना थी, लेकिन नहीं ली गई।

इस दौरान त्योहारी स्मीजन में ५ साल के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा ६६ सैंपल लिए गए। अधिकारियों के अनुभार ये आंकड़ा भी अपेक्षित कार्रवाई को तुलना में काफी कम था। क्योंकि, मिलावट एवं नकली खाद्य पदार्थों को लेकर ग्वालियर, मुरैना और भिंड से ही सबसे ज्यादा शिकायतें मुख्यमंत्री कार्बोलय के पास गई थीं।

गैरतत्व है कि ग्वालियर नकली घी को लेकर बड़े माफिया सेंटर के तौर पर उम बब्ल एक्सप्रेस हुआ था। जब शिर्डी सांड बाबा मंदिर के प्रसाद में उपयोग किया जा रहा घी नकली निकला। ये घी ट्रांसफोर्मर नगर की एक फैक्ट्री से तैयार कर भेजा गया था। ऐसे ही तिरुपति मंदिर में भी नकली घी

ग्वालियर और उमकी सप्लाई भी ग्वालियर में हुई थी। जिसके बाद ग्वालियर में छापेमार कार्रवाई हुई व ऐसे कई लोगों पर गमुका की कार्रवाई की गई। जो कि नकली घी बनाने व सप्लाई करने का काम कर रहे थे।

दशहरा दीपावली और होली पर किस साल कितने सैंपल लिए

वर्ष	सैंपल संख्या
2014-2015	42
2015-2016	53
2016-2017	25
2017-2018	55
2018-2019	66

ग्वालियर जिला अस्पताल के जच्चाखाने में पर्फिडियाट्रिक आईमीयू अभी हैडोवर नहीं हुआ है। पी अडम्यून्यू को शुरू करने के लिए मिलन मर्जन डॉ. आर्के. शर्मा ने ५ डॉक्यू, ६ नर्सिंग स्टाफ, ६ वांड व्हर्य, ४ स्टोपर और ४ मुरक्काकर्मियों की मांग का प्रस्ताव शामन को भेजा है।

बंद हो सकती है थेरेपी

ग्यातियर| जयरामग चिकित्सालय के अंकोर्लांजी विभाग में जल्द ही टेक्नीशियन को भत्ते नहीं की गई तो एआरबी कोबल्ट थेरेपी के मंचालन का लाइसेंस रद्द कर सकती है। विभागाध्यक्ष डॉ. अक्षय निगम ने बताया कि एआरबी के नियमानुसार कम से कम दो टेक्नीशियन होना चाहिए। इसके लिए नोटिस भेजा है।

तीन पूर्व सरपंचों ने किया शासकीय धन का दुरुपयोग, जेल भेजे जाएंगे


ग्यातियर| शासकीय धनराशि निकालने के बाद उमका निर्माण कार्य पूर्ण कराने में उपयोग न कर शासकीय धन का दुरुपयोग करने वाले पूर्व सरपंच सिसांगव के राजेन्द्र सिंह परिहार, उटीला से नाशद्ध निंह जाटव और नौगांव से गमलखन सिंह गुर्जर जेल जाएंगे। जिला पंचायत के सीईओ आशीष तिवारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा-९२ के तहत इस आशय के अलग-अलग आदेश जारी कर इन पूर्व सरपंचों को अधिकारा में लेकर ३० दिवस के लिए जेल में रखने के निर्देश दिलाये जेल, अधीक्षक को दिए हैं।

डॉक्टर ने नौगांव में खरीदी जमीन, अब बेचने वाले का बेटा मांग रहा पैसे, एफआईआर

ग्यातियर| जयरामग अस्पताल के डॉ. धुंआराम सिंह ने नौगांव में भगवान सिंह व उसके परिवार से जमीन खरीदी थी। जमीन में जिन लोगों का हिस्सा था, सभी को रुपए दिए। इसके बाद नामांतरण कराया फिर बाउंडी कराई। अब भगवान सिंह के परिवार का मुकेश बघेल डॉक्टर से और पैसे मांग रहा है। डॉक्टर के शिकायती आवेदन की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की। उधर, गेंडवाली सड़क पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में इंदरगंज पुलिस ने हिम्मीशीटर नेहरू वाल्मीकि पर एफआईआर दर्ज की है।

भाजपा को समझने किसी किताब की जरूरत नहीं, अभ्यास वर्ग से विचारों को समझ सकते हैं: तोमर

ग्यातियर| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा को समझने और पार्टी के विचारों को आत्मसात करने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अभ्यास वर्ग इसका जरिया है। वे झांसी रोड पर आयोजित भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सांसद विवेक शेजवलकर, जिलाध्यक्ष कमल माहोजारी उपस्थित थे। पूर्वमंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि भारतीय सैन्य शक्ति का मनोबल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में आसमान छू रहा है। आज भारत १०१ देरी शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर २५ व २६ दिसंबर को ग्वालियर व मुरैना के दौरे पर रहेंगे।



भोपाल- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में दिशाजलि ए सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्णा और कदंब का पौधा लगाया। मुख्य सोसायटी के अकित सिंह, सुश्री सौम्या गोयल, विकास सक्सेना और अजय व रोपण किया।

1

समाचार संच



घोटालों, अनियमितताओं, नियम विरोधी कार्यों के सरकारी सबूत ; फिर भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं सरकारें
(पेज 4 पर)

अ
बर

गवाह
आरएस
विद्याभ
प्रांतीय
राजेश :
कि सरग
में मुसि
मुस्लिम
गवाहि
उन्होंने
शुक्ला :
बजह है
मंदिर स
यहा

मुख्यमंत्री शिवराज के खिलाफ मुकदमे के लिए सांसद

तन्हा ने डेढ़ लाख रूपये न्यायालय में जमा कराए

भोपाल, 24 दिसम्बर(ए)। जाने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्हा ने ओब्रीमी आरक्षण मामले में आरोप लगाए जाने पर सख्त एकशन लिया है। तीन दिन में माफी मांगने की मोहल्त समाप्त होने के बाद उन्होंने अब कोर्ट करा (शेष पेज 11 पर)

**ग्वालियर
हलचल**
सामाजिक

ग्वालियर हलचल सान्ध्य दैर्घ्य
www.gwaliorhulchal.com पर

भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी





संपादकीय

ग्रालियर, शुक्रवार, 24 दिसम्बर 2021

घोटालों, अनियमितताओं, नियम विरोधी कार्यों के सरकारी सबूत ; फिर भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं सरकारें

इसे भारतीय संविधान की बहुत बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कमी कही जा सकती है कि सरकारी विभागों में घोटालों, अनियमितताओं, नियम विरोधी कामों का ऑडिट करने वाले भाग के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नहीं है।

यही बजह है कि हर वर्ष महालेखा परीक्षक(एकाउटेंट जनरल)कार्यालयों की ऑडिट रिपोर्ट सम्पद में, विधानसभाओं में, राज्यों के मुख्य सचिव कार्यालयों में जपा होती है फिर धून खा रही होती है।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के मध्यप्रदेश प्रधान महालेखाकार ने 21 दिसम्बर को मध्यप्रदेश विधानसभा 31 पार्च को सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन मोषा है। इसके कुछ अश का जिक्र करते हैं- जिला योजना एवं मार्छियकी अधिकारी, गयमेन के अभिलेखों की नमूना जाच में पाया गया कि विधायक निधि योजना व सामद म्बिंद्रानुदान में अपावृत्याकायों को भगतान करने में 97 लाख रुपये का गवाहन हुआ।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश शासन की प्रशासनिक तत्र की कमी के कारण 3 करोड़ 64 लाख रुपये की अर्थदण्ड राशि बमूली नहीं जा सकी और दोषी खाद्य

कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध राज्य बमूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही नहीं हो सकी।

मध्यप्रदेश के खेल विभाग ने 2014 से 19 तक 15 आदिवासी बहुल जिलों में एक भी खेल अकादमी की स्थापना नहीं की, जबकि जनजातीय जनसमुदायों में यूपी तुड़ प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए खेल विभाग ने 36 करोड़ 41 लाख रुपये खर्च किए थे। प्रदेश भर की खेल अकादमियों में प्रशिक्षकों की कमी 65 प्रतिशत तक थी।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़, अलीगढ़जपुर और उप कार्यालय जोड़ट, अलीगढ़जपुर के कर्मचारियों ने 16 करोड़ 43 लाख रुपये कपटपूर्ण तरीके से निकाले।

मध्यप्रदेश शासन ने खाद्य सुरक्षा के लिए पथक अधिकारणों एवं न्यायालय की स्थापना नहीं की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जिलाकार अपील प्रकारणों पर जानकारी संधारित नहीं की थी।

उपरोक्त प्रकारणों के साथ दर्जनों प्रकरण इस एजी रिपोर्ट में हैं, जो प्रमाण सहित दर्शाते हैं कि सरकारी विभागों में अनियमितता है। जैसे, पेज 26 में उल्लेख है- देशी-विदेशी शराब के क्रिय में लगे 794 खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास लायमेस-पजीयन नहीं था। 4482 उचित मूल्य की दुकानों के पास लायमेस-पजीयन नहीं था।

(भागत के नियन्त्रक-

महालेखा परीक्षक गिरीश चन्द्र मुर्म और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) मध्यप्रदेश डी.साह डिसी प्रतिवेदन में लिखते हैं कि भविष्य में शासकीय धन के कपटपूर्ण आहरण को रोकने के लिए विभाग को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उत्तरदायी अधिकारियों-कर्मचारियों की जबाबदेही तय कर दोषियों को न्यायपालिका के समझ लाया जाए।)

हालांकि एक दशक पहले सीएजी की 2जी स्पेक्ट्रम रिपोर्ट ने जरूर सम्पद में और मीडिया में खूब स्थान पाया, मनमोहन सरकार के खिलाफ माहील बना। बाद में 2जी स्पेक्ट्रम गडबड़ी प्रकरण न्यायालय गया और कह सकते हैं कि मनमोहन सरकार की 2004 के आम चुनावों में विदाई में सीएजी रिपोर्ट की भी अहम भूमिका रही थी। वैसे, यह भी सच है कि उस समय खबरों के प्रमाणण, प्रकाशन में उदारीकरण था। यानी शांघाई सम्मेताका खिलाफ निष्पक्ष समाचार परोंमें जा रहे थे। आज इस तरह की निर्भीक प्रक्रिया का अभाव है।

सीएजी की विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कानून सम्पत्त कार्रवाई हो, इसके लिए सभी दलों को एक पत होकर कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब महालेखाकार कार्यालयों पर अब्दों रूपयों का बजट व्यय हो रहा है तो राष्ट्रहित में इसका सदृश्योग तो दिखे।



रवीं
स्थिति
प्रदान।



रवीं
को निर
बेतन प
किया।



रवीं
राजेश
पत्रका
प्रवीन।

कपूर
लगा
चंद्री
चरणज
कपूर
ब्रयान

SGP